नगर निगम लखनऊ
(प्रचार विभाग)

नगर निगम लखनऊ (सदन) द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959(उ0प्र0 अधिनियम सं0–2, 1959) की धारा 192, 199 एवं 200 के अन्तर्गत नगर निगम लखनऊ की सीमा के भीतर समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर निर्धारित करने तथा वसूल करने के लिये **'लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2012'** का प्रारुप स्वीकृत कर दिया गया है। इसे समस्त नगर वासियों की सूचना के लिए और इस सम्बन्ध में अपनी लिखित आपत्तियॉ व सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है। नियमावली का प्रारूप नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट http://lmc.up.nic.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है तथा नगर निगम के प्रचार विभाग में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।

प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियां एवं सुझाव नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सम्बोधित एवं प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर प्राप्त होंगी।

(राकेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

लखनऊ, नगर निगम

<u>प्रस्ताव</u>

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा 192, 199 और 219 के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के विचारार्थ निम्न नियमावली का प्रारूप प्रस्तुत है :–

लखनऊ, नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह नियमावली '' लखनऊ नगर निगम, विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2012'' कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, लखनऊ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2 (1) जब तक विषय के संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(दो) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(तीन) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनो के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हेा, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

(चार) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है।

(पॉच) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।

(छः) ''झण्डी'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।

(सात) ''झण्डी प्रतीक'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो।

(आठ) ''निगम का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम से है।

(नौ) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं।

(दस) ''भू–प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो।

(ग्यारह) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

(बारह) ''शामियाना/स्वागत द्वार विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो। इसके विज्ञापन कर की गणना मासिक आधार पर की जायेगी।

(तेरह) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।

(चौदह) ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

(पन्द्रह) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

(सोलह) ''अनुसूची'' का तात्पर्य नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(सत्रह) ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो।

(अठारह) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है।

(उन्नीस) ''अस्थायी प्रतीक'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

(बीस) ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है।

(इक्कीस) ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।

(बाइस) बस सायबानों(शेल्टर) पर विज्ञापनः– बस सायबान विज्ञापन का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर लगाये गये, टागें गये, लटकाये गये अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन से है।

(तेइस) जनसुविधा स्थान पट विज्ञापन : जो किसी जनसुविधा के ऊपर/पास में अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाया जाए।

(चौबीस) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हो।

स्थल चयन के लिये समिति का गठन

3 (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उससे आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक)	नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त	–	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य अभियन्ता	–	सदस्य
(तीन)	अधिशासी अभियन्ता लोकनिर्माण विभाग तथा रेलवे का प्रतिनिधि	–	सदस्य
(चार)	नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी	–	सदस्य
(पाँच)	निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी, जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो	–	सदस्य

टिप्पणी– नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन की समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध मे नगर आयुक्त द्वारा नियम 7 (1) में विहित प्रक्रिया द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जाएगी।

प्रतिषेद्य

4–(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर, प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन

या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेंगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा न लिखेगा न चित्रित करेगा या न लटकायेगा ।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाये, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृष्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय/राज्यमार्ग के दाहिने ओर प्रत्येक चौराहे/मोड़ से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

पंजीकरण एवं नवीनीकरण

5 (1) ''ए'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 20,000.00(बीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रु0 1,00,000.00 (एक लाख) धरोहर धनराशि ''बी'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 40,000.00(चालीस हजार) एवं रु0 2,00,000.00(दो लाख) धरोहर धनराशि एवं ''सी'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 60,000.00(साठ हजार) एवं रु0 3,00,000.00 (तीन लाख) धरोहर धनराशि जमा करना होगा। अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे पॉच सौ रूपये भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा

सकता है। तथापित आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी। पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के अधिकतम सात दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क ''अ'' श्रेणी हेतु रु0 20,000/–(बीस हजार), ''ब'' श्रेणी हेतु रु0 40,000/–(चालीस हजार) एवं ''स'' श्रेणी हेतु रु0 60,000/–(साठ हजार) देय होगा। ''स'' श्रेणी में पंजीकृत एजेन्सी ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगी।

अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रकिया – विज्ञापन अनुज्ञा हेतु किसी भी प्राप्त आवेदन पर 7 दिन में निर्णय लिया जायेगा जहॉ किसी संस्था द्वारा स्वंय का विज्ञापन करना हो वहॉ विज्ञापन एजेन्सी की आवश्यकता नही है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहॉ ऐसी भूमि या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित किया जाना प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगीः–

(क) प्रत्येक भू विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जायेगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन–पत्र में प्रस्तुत की जायेंगी।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(घ) गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा मांगी गयी सूचना सम्बन्धित एजेन्सी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगाः–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण।

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट।

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं, सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग–4 ''संरचना अभिकल्प धारा–1 भार वल और प्रभाव'' के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति मे नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु भवन या भूमि में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत

सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ऐसे ट्रीगार्डों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस नियमावली के अधीन विज्ञापन कर भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न करनी होगी।

अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

6 (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्भृद किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर तथा विज्ञापन की चौड़ाई या 6 मीटर जो भी अधिक हो, से कम

नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दोनो यूनीपोल के मध्य 15 मीटर की दूरी होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ङ) प्रत्येक विज्ञापन पट पर एजेन्सी का नाम व विज्ञापन पट की संख्या का नाम स्पष्ट मोटे अक्षरों से अंकित होगा।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनर्मित किये जायेंगे।

(ज) मार्ग के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वाले, साइकिल वालों के लिए और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हों, के प्रकाश और यातायात में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।

(ञ) विज्ञापनकर्ता द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन यदि लोकहित में आपत्तिजनक होगा तो नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे तथा ऐसे विज्ञापनों को विज्ञापनकर्ता के व्यय पर हटवा दें।

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस नियमावली और विनियमावली में निर्दिष्ट किये गये उपबंधों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए।

(ड) कोई भी भू विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओ, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ढ) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें।

(ण) समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाए'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरुप होंगे।

(त) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड–पौधों में गाडा, बांधा नही जायेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगाः–

(क) यदि कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन, नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है।

(ख) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया जाता है।

(ग) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है या।

(घ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिसपर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

प्रीमियम 6 ए (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जो प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि का निर्धारण करेगी। समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे–अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता/नगर अभियन्ता, सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

(2) न्यूनतम सात दिन का समय मुहर बंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये दिया जायगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिए।

आवंटन समिति 7– (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक आवंटन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(एक) अपर नगर आयुक्त – सदस्य

(दो) निगम का मुख्य अभियन्ता – सदस्य

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी अधिकारी जो – सदस्य सचिव
सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो

(2) समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम 26 के अधीन कर सहित उच्चतम् प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा नगर निगम में अनुमोदित प्रीमियम की सम्पूर्ण धनराशि एवं विज्ञापन कर की धनराशि जमा करने के पश्चात ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जाएगा।

(6) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से विज्ञापन कर की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत प्रीमियम की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(7) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

(8) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी/निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों एवं ट्री–गार्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने के लिये प्रीमियम की नीलामी/निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।

(9) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर जहॉ नियम–18 के अधीन इसकी अनुज्ञा न हो।) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भो या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि नियम–6 (ए) के अन्तर्गत निर्धारित आवेदक द्वारा संदेय होगी।

आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार

8– नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है।

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, धृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थन पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(ड) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उपन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

(च) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम हित व जनहित में उचित समझे।

अनुज्ञा प्रदान करने की रीति 9— निजी स्थल/भवन को छोड़कर अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने,

प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या हस्तांतरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा।

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियमावली के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत दी जा सकती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष अनुज्ञा की अवधि

10— अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो होगी।

अनुज्ञा का नवीनीकरण

10—(1) नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन कर जमा कराकर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुज्ञा का नवीनीकरण नियमावली के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति

11—(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकते या मिटवा सकते है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकते है।

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था,

संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिसमें ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान सडक/फुटपाथ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की संरचनायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जायेगा।

विज्ञापन निर्बन्धन 12– (1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा। यदि–

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर X 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 20 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हों या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(चार) नियम–3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो।

(पॉच) यह मार्ग विभाजक एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो।

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो जिससे परिसर में प्रकाश व यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है।

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारो ओर अवस्थित हो।

(आठ) स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगीः–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातातात के पहुॅचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो।

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के मोड़ के 10 मीटर के भीतर

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो।

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिए परिसंकटमय हो।

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता वाधित हो।

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधाये प्रभावित हों।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी।

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है।

(दो) ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

छत के उपर के विज्ञापन पटों के समबन्ध में निर्बन्धन

13– (1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक अनुमन्य हैं।

(2) किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

14– विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के हैंः–

(क) इलेक्ट्रानिक, डिजिटल प्रक्रियायुक्त विज्ञापन

(ख) भू–विज्ञापन

(ग) छत विज्ञापन

(घ) बरामदा/दुकान विज्ञापन

(ड) दीवार विज्ञापन

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ज) विविध और अस्थायी विज्ञापन

(झ) ट्री गार्ड

(ञ) ध्वनि विस्तारक यंत्र

वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहॉ विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट्ट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापनः–

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को भाग–8 भवन सेवायें स्थापित किया जाएगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर को क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 06 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, स्थित सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से अवलम्बित किये जाऐंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण के लिए विज्ञापन पट्ट या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सके।

क–5 गहन प्रदीप्ति– कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।

क–6 परिचालन अवधिः– लोकसौहार्द, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में नगर आयुक्त की राय में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।

क–7 चौंधने वाला ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वालाः– कोई चौधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हों, परिनिर्मित की जाएगी ताकि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना चाहिए।

भू–विज्ञापन

ख–1 सामग्री ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

ख–2 आयाम– भूमि के ऊपर कोई विज्ञापन अधिकतम 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई तक कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

ख–3 अवलम्ब और स्थिरक स्थान– प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढतापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या ककीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 स्थल सफाई– किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृष्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 सुगम यातायात में अवरोधः– ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भवन में युक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख–6 तल निर्बाधन भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन, जहॉ प्रयोज्य हों वहां नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

छत विज्ञापन

ग–1 सामग्रीः नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढॉचे, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को प्लास्टिक विनायल से निर्मित किया जाएगा तथा प्रत्येक छत विज्ञापन की ऊँचाई छः मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहॉ ज्वलनशील

सामग्रियॉ अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहॉ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

ग–3 अवस्थितिः

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा तब तक सम्पूर्ण छत निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–4 क्षेपण (प्रोजेक्शन विज्ञापन) : कोई क्षेपण विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन के परे क्षेपित नहीं होगा और जिस पर यह परिनिर्मित हो वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

ग–5 अवलम्ब और स्थिरक : प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

ग–6 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग–7 चित्रित छत विज्ञापन, नियम 16 समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य 'अपेक्षाएं' जहॉ प्रयोज्य हों, के अनुरूप होंगे।

वरामदा विज्ञापन

घ–1 प्रत्येक वरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णत– अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 आयामः कोई वरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी वरामदा से लटकाया जाने वाला कोई वरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला वरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ–3 संरेखण : प्रत्येक वरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा, इसके सिवाय किसी वरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित पर स्थापित किया जायेगा।

घ–4 स्थान– वरांडा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो निम्नलिखित स्थानों पर लगायी जाएगी–

(एक) वरांडा छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) वरांडा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में वरांडा धरनों या मुडेरों पर ,

घ–5 लटकते हुए वरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई किसी वरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक वरांडा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खडंजा से कम से कम 2.5 मीटर ऊचांई पर हो।

घ–6 प्रक्षेपणः घ 4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी वरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो बाहर निकली हुई नहीं होगी।

दीवार विज्ञापन

ड– प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए निर्मित किया जायेगा और इसमें किसी ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ड–2 (क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

(ख) दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं

च–1 सामग्री– प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई– कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहॉ अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो वहॉ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

च–3 अवलम्ब एवं संलग्न– प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च–4 अतिरिक्त भार– ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हैं या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षेतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सके।

शामियाना विज्ञापन पट्टिका

(छ–1) सामग्री– शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

(छ–2) ऊँचाई– ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचें और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

(छ–3) लम्बाई– शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज– आकाश विज्ञापन पट्टिका – आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या वाधा उत्पन्न न हो।

झ– अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

(झ–1) प्रकारः– 1.2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड़) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाइसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर 450 मिलीमीटर से अनधिक हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक की दशा में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

(झ–2) अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता–

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएँ सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परसिर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। आस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो

जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवयश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका– पोल विज्ञापन पट्टिकाऍ अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाईन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पॉच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं– किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपडे या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हों, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 7 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हों, 5 दिन की अवधि तक लटकाई जा सकती हैं।

(छः) अधिकतम आकार अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होंगी।

(सात) प्रक्षेण– कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढेंगीं सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्हं पट्टिकाऍ बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के

रूप में लगाई जा सकती हैं या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) विशेष अनुमतिः भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़े नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि कें लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी– मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

16– (1) भारः विज्ञापन पट्टिकाएँ इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आँधी डेड से इस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग–8 भवन सेवाएं खण्ड–2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान–

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन

के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका न लगायी जाये।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएँ लाइटिंग फिक्सचर से युक्त होनी चाहिए।

(ड) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएँ स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहॉ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहॉ विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से वर्जन किया जायेगा।

(छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियाँ लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।

(4) दहनशील पदार्थो का प्रयोग–

(एक) सजावटी विशिष्टता– ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहॉ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक– विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपणः–

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसानी या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुॅचाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिए।

17– किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम के साथ अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय और वह एक मीटर से अधिक ऊँचा व अधिकतम तीन मीटर तक लम्बा हो, तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जाएगा और वह इस नियमावली के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस नियमावली के अधीन कराधेय होगा।

मार्गाधिकार के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन–

(एक) अभिकल्पः विज्ञापन फलक की चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

बस सायबानों के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोडते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न

होगी तथ ऊँचाई 0.76 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची व निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय–समय पर कराना अनिवार्य होगा।

यातायात रोटरी/ आईलैण्ड/यातायात बूथ

नगर आयुक्त अभिकरण को यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात बूथ के विकास व रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 1.00 मीटर रखी जायेगी।

19– (1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी।

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट सिगनल्स यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पॉच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 मीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अन्तर्गत आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रखरखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्टः नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(एक) भण्डारण विज्ञापन पट्ट – किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम

और उसमें संचालित कारबार की प्रकृतिज को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

(दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट– किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(तीन) नाम पट्टः–किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(क) टाईप 1:7.3 मीटर X 0.76 मीटर

(ख) टाईप 2 : 9.1 मीटर X 0.76 मीटर

(ग) टाईप 3 :11.0 मीटर X 0.76 मीटर

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :– नियम 13 के उप नियम 2 के खण्ड (तीन) के अनुसार यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिनन स्थानों के पहुचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर X 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक करूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंन्ट करने की अनुज्ञा होगी। चित्र–5 ब्यौरे को प्रदर्शित करता है।

(4) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड): नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा देगा। एक मीटर से कम चौडें

डिवाईडर पर ट्री–गार्ड नही लगायें जायेंगें। पक्के फुटपाथों को तोडकर ट्री–गार्ड नही लगाया जायेगा एवं बडे पडों के नीचे ट्री–गार्ड नही लगाया जायेगा।

(4) अस्थाई विज्ञापन पट्टः–

(एक) निर्माण स्थल संकेतः– निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान (अनुसूची–3 देखें) के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेतः– आकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजनके लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है।(नियम–15 झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए।)
(5) अनुसूची 3 में दिये गये विज्ञापन पट्टों की गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं के लिये किसी अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

20– (1) यदि अनुसूची–2, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तो पर और इस नियमावली द्वारा निर्धारित कर के दो गुना, कर के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिए हो

तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21– (1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस नियमावली में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर आयुक्त मण्डल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगी, जो उस परिसर के अध्यासी हो। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ''ज्वैलर्स'' ''कैफे'' ''डांसिंग'' या भवन के प्रदवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट

वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और नहीं मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

निषिद्व क्षेत्र की घोषण 22– निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त लखनऊ मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

झण्डियों पर रोक 23– (1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

अनुरक्षण और निरीक्षण 24– (1) **अनुरक्षण :** सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किया जोयगा और उन पर मोर्चा लगने से रोंकने के लिए रंग–रोगन समय–समय पर किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था** : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) **निरीक्षण** : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान जिसके लिए कोई परमिट

अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

25— नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस नियमावली द्वारा तद्धीन प्राधिकृत को या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु—

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, तो हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

कर भुगतान की रीति

26— (1) अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर 50—50 प्रतिशत की दो किश्तों में संदेय होगा। बिना पूर्ण धनराशि जमा किये/ बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदशित नहीं किया जायेगा। प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो तथा दूसरी किश्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह के पश्चात् से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो विज्ञापन कर अनुसूची—2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) उपरोक्त प्रयोजनों से भिन्न किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि विज्ञापन कर्ता किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो कर की दरें अनुसूची–2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होंगी।

क्षेत्रों का वर्गीकरण

27– विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा–

(एक) प्रवर श्रेणी

(दो) ''अ'' श्रेणी

(तीन) ''ब'' श्रेणी

(चार) ''स'' श्रेणी

हटाये जाने की लागत

28– नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी–

(क) 6.1 X 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक लागत अथवा रु0 5000/– (पॉच हजार) जो भी अधिक हो प्रति विज्ञापन देय होगा।

(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट को हटाने की लागत अथवा रु0 8000/–(आठ हजार) प्रति विज्ञापन जो भी अधिक हो, देय होगा।

(ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत रु0 2000/–(दो हजार) प्रति विज्ञापन देय होगा।

(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत रु0 10000/– (दस हजार) प्रति विज्ञापन देय होगा।

अपराध के लिए दण्ड और उनका प्रशमन

(1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 5,000/–(पॉच हजार) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हए भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनुसूची–2
(नियम 26 देखे)
विज्ञापन और विज्ञापन पट दर कर की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन .....भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए–

   प्रवर श्रेणी : रू0 2000/–(दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

   ''अ'' श्रेणी : रू0 1200/–(एक हजार दो सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

   ''ब'' श्रेणी : रू0 1000/–(एक हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

   ''स'' श्रेणी : रू0 800/–(आठ सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

2. इलेक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजिटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पटों हेतु (1) में निदिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होंगी।

2. (1) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 75 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

3. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोडकर)

हल्का वाहन : रू0–5000/–(पॉच हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

भारी वाहन : रू0–20000/–(बीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर–

(एक) तीन पहिया : रू0–100/–(एक सौ) प्रति दिन

(दो) चार पहिया : रू0–500/–(पॉच सौ) प्रति दिन

(तीन) छः पहिया : रू0–1000/–(एक हजार) प्रति दिन

4. विद्युत तथा अन्य खम्भों पर विज्ञापन पट–

प्रवर श्रेणी : रू0 3000/–(तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''अ'' श्रेणी : रू0 2000/–(दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''ब'' श्रेणी : रू0 1500/–(एक हजार पॉच सौ)प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''स'' श्रेणी : रू0 1000/–(एक हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5. पोस्टर रू0–300/–(तीन सौ) प्रति सैकड़ा

6. परचा रू0–600/– (छः सौ) प्रति हजार

7. पताका (बैनर) रू0–100/–(एक सौ रुपये) प्रति बैनर

8. गुब्बारे : रू0–200/–(दो सौ रुपये) प्रति दिन

9. छतरी(कैनोपी): रू0–100/–(एक सौ रुपये) प्रति दिन

10. एकस्तम्भ(यूनीपोल):

प्रवर श्रेणी : रू0 3000/–(तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''अ'' श्रेणी : रू0 2000/–(दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''ब'' श्रेणी : रू0 1500/–(एक हजार पॉच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''स'' श्रेणी : रू0 1000/–(एक हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

11. ट्री गार्ड : ऊपर मद एक के अनुसार

12. पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड/कैन्ट्रीलीवर पोल(ट्रैफिक सिग्नल)

(1) प्रवर श्रेणी रु0 5000/–(पॉच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) अ श्रेणी रु0 4000/–(चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ब श्रेणी रु0 3000/–(तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) स श्रेणी रु0 2000/–(दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

13. बस शेल्टरः

(1) प्रवर श्रेणी रु0 5000/–(पॉच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) अ श्रेणी रु0 4000/–(चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ब श्रेणी रु0 2000/–(दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) स श्रेणी रु0 1000/–(एक हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

14. गैन्ट्री

(1) प्रवर श्रेणी रु0 3750/–(तीन हजार सात सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) अ श्रेणी रु0 2500/–(दो हजार पॉच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ब श्रेणी रु0 1825/–(एक हजार आठ सौ पच्चीस) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) स श्रेणी रु0 1250/–(एक हजार दो सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

15. आटो रिक्शा थ्री–व्हीलर–रु0 1000/–(एक हजार) प्रतिवर्ष प्रति आटो

16. बसों पर– रु0 2000/–(दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

17. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सडक के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची–2 में अंकित विज्ञापन की दरों के क्रमांक–1 के अनुसार देय होगा।

18. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यून्तम 3 माह का विज्ञापन कर मद सं0–1 के अनुसार लिया जायेगा।

19. ध्वनि विस्तारक यंत्रः रु0 100/– प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन

20. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका विज्ञापन कर क्रमांक–1 के अनुसार देय होगा।

21. निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से गुणवत्ता सुद्ढीकरण का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।

<u>निजी भूमि भवन एवं स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत होर्डिंग एवं यूनीपोल हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रः–</u>

महात्मा गांधी मार्ग–परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहा–राज भवन(गवर्नर हाउस) होते हुए वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस तक। हजरतगंज चौराहा से बापू भवन चौराहे तक, अशोक मार्ग हजरतगंज चौराहे से आयकर भवन, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पुरातात्विक स्मारकों के आस–पास, विधान सभा भवन के चारों ओर, मा0 उच्च न्यायालय के आस–पास, लोहिया पथ पर, अमौसी एयरपोर्ट नये मोड से अवध अस्पताल तक एवं वी0आई0पी0 रोड से होते हुये जेल रोड पर इक्षुपुरी कालोनी तक।

उक्त के अतिरिक्त नगर आयुक्त को वी0वी0आई0पी0 मूवमेंट, यातायात तथा सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है।

<u>प्रवर श्रेणीः–</u>

कैपिटल सिनेमा से आयकर भवन तक जी0पी0ओ0 से विक्रमादित्य मार्ग होते हुये माल एवेन्यु रेलवे कालोनी तक।(निजी भवनों हेतु), एयरपोर्ट बाउन्ड्रीवाल कानपुर रोड से अवध चौराहा आलमबाग वी0आई0पी0 रोड, इक्ष्विकपुर कालोनी(कैन्ट), आलमबाग मवइया चारबाग, हुसैनगंज चरन होटल तक, आयकर भवन से अशोक मार्ग निशातगंज उपरिगामी पुल के दोनो ओर गोल मार्केट क्लासिक चौराहा, कार्मल चौराहा महानगर, बादशाह नगर चौराहा से फैजाबाद रोड, बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कालेज तक, पालीटेक्निक चौराहा से मुंशी पुलिया टेढी पुलिया होते हुये आई0आई0एम0 मोड सीतापुर रोड तक पालीटेक्निक चौराहे इन्दिरा नगर बादशाह नगर, इन्दिरा उपरिगामी पुल पुलिस लाइन आई0टी0 चौराहे तक,

इंजीनियरिंग कालेज चौराहे से से0–क्यू0 पुरनियां, निराला नगर उपरिगामी पुल आई0टी0 कालेज तक व पुरनियां से कपूरथला मंदिर मार्ग गोल मार्केट तक कपूरथला रैदास उपरिगामी पुल के दोनो ओर आई0टी0 विश्वविधालय मार्ग परिवर्तन चौक तक परिवर्तन चौक से पक्का पुल शाहमीना रोड कसाई वाला पुल मेडिकल कालेज चौक चौराहे तक, विक्रमादित्य चौराहा, गोल्फ क्लब जियामऊ गांधी सेतु बालू अड्डा, समता मूलक चौराहा, लोहिया चौराहा उपरिगामी सेतु के दोनो ओर, पालीटेक्निक गांधी सेतु चौराहा अम्बेडकर उधान सी0एम0एस0 मनोज पाण्डे चौराहे से पत्रकारपुरम चौराहा हुसेडिया तक, बालू अड्डे से राणा प्रताप मार्ग होटल क्लार्क अवध तक।

<u>अ श्रेणीः–</u>

मेडिकल कालेज चौराहा से नक्खास हैदरगंज उपरिगामी पुल, आर0डी0एस0ओ0 आलमबाग चौराहे तक, हुसैनगंज चौराहे से बासमण्डी नाका डी0ए0वी0 कालेज, ऐशबाग उपरिगामी पुल हैदरगंज चौराहा, सदर उपरिगामी सेतु से कैसरबाग चौराहा, अमीनाबाद, बारादरी कैसरबाग, लाटूश रोड से चारबाग तक, आई0टी0 कालेज से डालीगंज पुल तक, पिकप गोमती नगर से होते हुये लोहिया अस्पताल, इंदिरा प्रतिष्ठान, शहीद पथ गोमती नगर, कैन्ट तेलीबाग से पीजीआई कल्ली चौराहा रायबरेली रोड तक, शहीद पथ कानपुर रोड से शहीद पथ फैजाबाद रोड तक।

<u>ब श्रेणीः–</u>

चौक चौराहे से ठाकुरगंज, बालागंज, दुबग्गा सब्जी मण्डी तक, कुर्सी रोड टेढी पुलिया से विकास नगर अलीगंज, फैजाबाद रोड से हैनीमैन चौराहा जोन–4 कार्यालय तक, खुर्रम नगर चौराहे से रहीम नगर चौराहा वायरलेस क्लासिक चौराहे तक, बालू अड्डा बैकुन्ठधाम, लक्ष्मण मेला स्थल (बन्धा मार्ग) नेशनल कालेज तक, कुर्सी रोड।

<u>स श्रेणीः–</u>

कालोनी तथा मोहल्ले की मुख्य मार्गों को छोडकर अन्दर वाला भाग तथा ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नही है(प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोडकर)।

स्पष्टीकरणः

1. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत हुई हो, के दो वित्तीय वर्षें की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्वि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

2. स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्वि की गणना के उद्देश्य से रुपये का कोई भाग छोड दिया जायेगा।
3. कर अग्रिम रुप से संदेय योग्य होगा।
4. यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 मास से अधिक नही होती है तो विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।
5. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते है कि कर मासिक आधार पर आंगणित होगा किन्तु एक किश्त में वसूला जायेगा।
6. कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।